# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना जिला बालोतरा

## पीठासीन अधिकारीः—श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :—93/2019

प्रार्थीगणः—

1. श्रीमती सुगणीदेवी पत्नी हरींगाराम जाति विश्नोई
2. श्रीमती भाणी पत्नी साजनराम जाति विश्नोई
3. श्रीमती केली पत्नी मंछाराम जाति विश्नोई
4. श्रीमती नोजीदेवी पत्नी मानाराम जाति विश्नोई
5. श्रीमती कमलादेवी पत्नी हेमाराम जाति विश्नोई
6. अर्जुनराम पुत्र हरिंगाराम जाति विश्नोई
7. किशनलाल पुत्र हरिंगाराम जाति विश्नोई
8. साजनराम पुत्र फुसाराम जाति विश्नोई
9. मंछाराम पुत्र फुसाराम जाति विश्नोई
10. मानाराम पुत्र फुसाराम जाति विश्नोई
11. हेमाराम पुत्र फुसाराम जाति विश्नोई
12. मालाराम पुत्र हीराजी जाति विश्नोई
13. रूपसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति पुरोहित
14. तुलछाराम पुत्र मिसरी जाति विश्नोई
15. मोहनसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपुत
16. इन्द्रादेवी पत्नी मोहनलाल जाति विश्नोई
17. श्रीमती मीरादेवी पत्नी विरमाराम जाति विश्नोई
    निवासी फुलण तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

—::बनाम::—

विप्रार्थीगणः—

1. डुंगरसिंह पुत्र मोडसिंह जाति पुरोहित
2. भीखसिंह पुत्र मोडसिंह जाति पुरोहित
3. जबरसिंह पुत्र मोडसिंह जाति पुरोहित
4. आदुसिंह पुत्र मोडसिंह जाति पुरोहित
5. चतरसिंह पुत्र मोडसिंह जाति पुरोहित
   निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
6. विनोद भैरव कश्यप पुत्र ओमप्रकाश जाति श्रीमाली
7. हरकनराम पुत्र वीरमाराम जाति विश्नोई
8. भाखरराम पुत्र वीरमाराम जाति विश्नोई
9. वीरमाराम पुत्र जीवाराम जांति विश्नोई
10. बाबुलाल पुत्र जीवाराम जाति विश्नोई
11. एलसी जोजे सग्रामाराम जाति विश्नोई
12. जेकन वल्द वरिंगाराम जाति विश्नोई
    निवासी फुलण तहसील समदड़ी जिला बालोतरा
13. लालसिंह पुत्र गुणेशसिंह जाति पुरोहित
14. हड़मानसिंह पुत्र गुणेशसिंह जाति पुरोहित
15. दीपसिंह पुत्र गुणेशसिंह जाति पुरोहित
    निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
16. वरदाराम पुत्र लाखाराम जाति विश्नोई
    निवासी फुलण तहसील समदड़ी जिला बालोतरा
17. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा सिवाना
18. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई ए.डी.बी. शाखा सिवाना
19. शाखा प्रबंधक स.भु.वि. बैंक लिमिटेड शाखा बालोतरा
20. राजस्थान राज्ये जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally Signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.01.19 17:24:31 IST
Reason: SelfAttested

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थितः–
1. श्री अचलाराम थोरी वकील प्रार्थीगण
2. श्री कैलाशपुरी वकील विप्रार्थी संख्या 1 से 5

**–:: आदेश ::–** दिनांक :–01.01.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम फूलण तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 164 रकबा 53.6450 हैक्टेयर भूमि विभिन्न काश्तकारों को आवंटित होकर पृथक–पृथक खसरों के रूप में आवंटियों की खातेदारी में दर्ज हुई। राजस्व रिकॉर्ड में आवंटियों की खातेदारी में माफिक आवंटन सही दर्ज हुई, किन्तु लट्ठा नक्शा में विभाजित भूमि की तरमीम वास्तविक आवंटन स्थिति एवं मौका स्थिति से भिन्न कर दी गई। अतः प्रार्थीगण ने आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार आवंटियों का कब्जा होना बताकर तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 6 से 19 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से वकील श्री कैलाशपुरी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' में विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के कब्जाकाश्त की एवं उनके द्वारा उपजाऊ बनायी गई भूमि हड़पने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं तथा न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्यों को छुपाकर उपस्थित हुए हैं। क्योंकि विवाद की विषयवस्तु के संबंध में इसी न्यायालय द्वारा आवेदन संख्या 81/2019 में दिनांक 26.08.2019 में आदेश पारित होकर न केवल राजस्व रिकॉर्ड एवं लट्ठा नक्शा में क्रियान्वयन हो चुका है, बल्कि प्रार्थीगण स्वयं माननीय अपर संभागीय आयुक्त, जोधपुर में अपील प्रस्तुत कर उक्त आवेदन के विरुद्ध स्थगन भी जारी करवा चुके हैं, जिसका आवेदन में कोई उल्लेख नहीं किया है। अन्त में उन्होंने इसी आधार पर आवेदन खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण के तथ्यों पर दोनों पक्षों [illegible] सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन तथा तथ्यों क[illegible] के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। राजस्व आवेदन संख्या 81/2019 राजस्थान सरकार बनाम डूंगरसिंह में पारित आदेश दिनांक 26.08.2019 के अनुसार प्रस्तुत आवेदन की विषयवस्तु मौजा फूलण के मूल खसरा संख्या 164 के संबंध में इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित हो चुका है, बल्कि इस आदेश के विरुद्ध माननीय अपर संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष स्वयं प्रार्थीगण द्वारा अपील भी प्रस्तुत की है, जिसमें माननीय न्यायालय का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाडमेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.01.19 17:24:31 IST
Reason: SelfAttested

स्थगन भी प्रभावी है। न्याय का यह प्राकृतिक सिद्धांत है कि एक बार किसी विषयवस्तु पर आदेश पारित करने के बाद वही अदालत उसी विषयवस्तु पर दुबारा सुनवाई नहीं कर सकती। उभय पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष अपने–अपने पक्ष की चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है।

लिहाजा आवेदन चलते योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 01.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(दिनेश बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.01.19 17:24:31 IST
Reason: SelfAttested